

पत्रांक:-बी०एस०बी०सी०सी०एल०-244/2016 (प्रशासन)-2

कार्यालय आदेश सं०-52/2019

दिनांक-

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना के निगम मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत 12 (बारह) कर्मियों, जिनका छः वर्ष का संविदा अवधि माह मार्च 2019 एवं अप्रैल 2019 में विभिन्न तिथियों को पूर्ण हो चुकी है, का एक वर्ष का सेवा अवधि विस्तार निदेशक पर्वद के 47वीं बैठक द्वारा किया गया है। उक्त निर्णय के आलोक में वैसे कर्मियों का 1 (एक) वर्ष का संविदा सेवा विस्तार उनके नाम के सामने स्तंभ-5 में अंकित समयवधि तक किया जाता है, जो निम्नवत् है :-

क्र० सं०	कर्मियों का नाम	पदनाम	पदस्थापन	निदेशक पर्वद से विस्तारित संविदा अवधि
1	2	3	4	5
1	श्री जितेन्द्र कुमार सिंह	कम्पनी सचिव	निगम मुख्यालय, पटना	दिनांक-29.04.2019 से दिनांक-28.04.2020
2	श्री सुधीर शेखर	सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी)	निगम मुख्यालय, पटना	दिनांक-01.04.2019 से दिनांक-31.03.2020
3	श्री मुनेन्द्र कुमार	सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी)	पी०आई०यू० भागलपुर	दिनांक-22.04.2019 से दिनांक-21.04.2020
4	श्री सुशील कुमार पूर्वे	ड्रॉफ्टमैन	निगम मुख्यालय, पटना	दिनांक-22.04.2019 से दिनांक-21.04.2020
5	श्री अश्वनी कुमार सिन्हा	लेखापाल-सह-रोकड़पाल	पी०आई०यू० मुजफ्फरपुर	दिनांक-22.04.2019 से दिनांक-21.04.2020
6	श्री राजन कुमार चौधरी	ऑटो कैड ऑपरेटर	निगम मुख्यालय, पटना	दिनांक-16.04.2019 से दिनांक-15.04.2020
7	श्री जितेन्द्र कुमार	कनीय अभियंता (विद्युत)	निगम मुख्यालय, पटना	दिनांक-01.04.2019 से दिनांक-31.03.2020
8	श्री संजीव कुमार सिन्हा	कनीय अभियंता (विद्युत)	निगम मुख्यालय, पटना	दिनांक-01.04.2019 से दिनांक-31.03.2020
9	श्री महेश कुमार सिन्हा	कनीय अभियंता (असैनिक)	पी०आई०यू० पटना	दिनांक-02.04.2019 से दिनांक-01.04.2020
10	श्री मनीष कुमार	कनीय अभियंता (असैनिक)	पी०आई०यू०, मुंगेर	दिनांक-01.04.2019 से दिनांक-31.03.2020
11	श्री मनोरंजन कुमार	कनीय अभियंता (असैनिक)	पी०आई०यू०, पूर्णियाँ	दिनांक-01.04.2019 से दिनांक-31.03.2020
12	श्री राजीव कुमार	कनीय अभियंता (असैनिक)	पी०आई०यू०, सहरसा	दिनांक-01.04.2019 से दिनांक-31.03.2020

2. भविष्य में इससे संबंधित किसी प्रकार का मामला या अन्य कोई बिन्दु प्रकटनीय होती है तो निगम अपने अधिकार क्षेत्र से किसी त्रुटि या कमी को निराकरण हेतु संशोधन आदेश निर्गत कर सकेगा, जिसे सभी संबंधितों द्वारा इसका अनुपालन किया जाना बाध्यकारी होगा।
3. विस्तारित अवधि में पूर्व के एकरारनामा के नियम एवं शर्तें प्रभावी रहेंगे।
4. सेवा विस्तार के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(बिनोद कुमार झा)

महाप्रबंधक (प्रशासन)